

न्यूज ब्राडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एन बी डी ए) – नई दिल्ली

नीति संहिता और प्रसारण मानक

पृष्ठभूमि

1. भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो और उच्चतम न्यायालय भी इस बात का पूरा खयाल रखता है कि नागरिक इस अधिकार का समुचित इस्तेमाल कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय न केवल इस बात का ध्यान रखता है कि प्रेस की स्वतंत्रता भी बनी रहे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को उनसे जुड़े सभी मामलों से यथोचित अवगत कराया जाए।

2. किसी भी लोकतंत्र की सफलता का आधार यही है कि इसमें शामिल सभी संगठन और निकाय राजनीतिक संप्रभु – जनता के प्रति वफादार और जवाबदेह बनें। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि लोकतंत्र का आधार बरकरार रखने और उसे फलने फूलने का अवसर देने के लिए यह बेहद जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने दिल में स्वतंत्रता की भावना महसूस करे और देश में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उनके किसी भी प्रकार के उल्लंघन को नाकाम करने के लिए वह पूरी तरह जागरूक भी रहे। महज सत्ता पलट जैसी घटनाओं की वजह से ही लोकतंत्र कमजोर होकर अराजकता में बदल जाता है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह गहराई तक जड़ जमा चुकी भ्रष्टाचार और अधिकारों का दुरुपयोग भी होता है। लोकतंत्र में ही व्याप्त खतरों को उजागर करना इस समय समाचार माध्यम खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सबसे अहम भूमिकाओं में शुमार होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच और प्रभाव लोकतंत्र को उन लोगों के लिए जीवंत वास्तविकता बनाने में पूरी तरह सक्षम है, जो निरक्षर होने के कारण या किसी अन्य कारण से प्रिंट माध्यम या मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे उन लोगों में शासन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की भावना भी पैदा होती है।

3. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विभिन्न धर्म, जातियों और भाषाओं की वजह से इसकी एक अलग पहचान है। इतनी अधिक विविधता होने के कारण देश में कुछ ऐसी समस्याएं भी व्याप्त हैं, जो केवल यहीं पर हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ ऐसी विशेषताएं भी मौजूद हैं, जो जीवंत लोकतंत्र वाले अन्य देशों से मेल खाते हैं और इनमें से एक है प्रेस की आजादी। हालांकि आजादी देने के साथ ही इन लोकतंत्रों में प्रेस की आजादी का संतुलन बनाए रखने के लिए निगरानी का प्रावधान भी किया गया है, ताकि प्रेस के भीतर जिम्मेदारी का अहसास आए और वह इस आजादी का गलत इस्तेमाल न करे। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि प्रेस की पत्रकारिता संबंधी आजादी किसी भी हालत में खतरे में न हीं पड़ने पाए।

4. मीडिया का यह दायित्व है कि वह लोगों को शासन की स्थिति से अच्छी तरह अवगत कराए और अक्सर मीडिया सरकार या व्यवस्था के खिलाफ ही बोलता है। ऐसा माध्यम जो सरकार और सार्वजनिक जीवन में मौजूद खामियों को उजागर करने के लिए ही बनाया गया है, उस पर सरकार की ओर से नियंत्रण तो लाजिमी तौर पर नहीं हो सकता अन्यथा उसकी साख और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मौलिक सिद्धांत है कि कंटेंट यानी विषय वस्तु के मामले में मीडिया को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए क्योंकि सेंसरशिप यानी नियंत्रण और स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन हैं। ऐसे में खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए निगरानी के संस्थागत तरीके और सावधानियां ईजाद करने का जिम्मा पूरी तरह से पत्रकारिता के पेशे का ही है। ये तरीके ऐसे होने चाहिए, जिनसे वह रास्ता परिभाषित हो सके, जिस पर चलकर संयम और पत्रकारीय नीतियों के उच्चतम मानकों की रचना हो सके और अपने पवित्र संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह करने में जो मीडिया का मार्गदर्शन कर सकें।

5. भारत में मीडिया का विकास होने से काफी पहले कई अन्य देशों में समाचार मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास हो चुका था; उन देशों में स्व: शासन के कई मॉडल मौजूद हैं। इन सभी मॉडलों की जो अनूठी विशेषता है, वह अपने ही बीच के लोगों यानी पत्रकारिता के कार्यक्षेत्र से ही जुड़े व्यक्तियों की निर्णायक मंडली के जरिये निगरानी और स्व शासन है।

6. स्व: शासन का ऐसा कोई भी मॉडल, जो खुद पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार किया जाता है, उसमें स्वाभाविक तौर पर कुछ कमियां और खामियां होती ही हैं क्योंकि इस मॉडल का पालन करना पूरी तरह स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन

इसका यह मतलब कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि इस तरह के मॉडलों का असर नहीं होता या वे कारगर साबित नहीं होते। उनका असर या उनका प्रभाव इसी तथ्य से आता है, जिसके मुताबिक किसी भी समाचार चैनल की बुनियादी ताकत उसकी उस साख या विश्वसनीयता में निहित होती है, जहां से जन मानस को प्रभावित करने की उसकी क्षमता आती है। इसीके कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों की निर्णायक मंडली अगर इस पर नियंत्रण करती है, तो किसी भी चैनल की विश्वसनीयता पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। इसके अलावा इस प्रक्रिया के साथ कुछ कानूनी प्रावधान भी जुड़े होने लाजिमी है। मानहानि के मामलों में नागरिक और आपराधिक यानी फौजदारी कार्रवाई से बचने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सत्य को सामने लाने के निष्पक्ष प्रयास के तहत यह काम किया गया और यह टिप्पणी पूरी तरह से पक्षपात रहित है। सत्य नहीं होने और झूठा होने में जो अंतर है, वह कई बार आपके उद्देश्य में ही निहित होता है। निर्धारित और प्रचलित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने या उनके खिलाफ काम करने वाला चैनल अपने उद्देश्य की रक्षा के लिए बमुश्किल कोई तर्क दे सकता है या शायद ही वह यह कह सकता है कि उसका काम निष्पक्ष था, बशर्ते उसी के कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों की कोई निर्णायक मंडली उस पर निगरानी कर रही हो।

7. यदि मीडिया के किसी भी कामकाज में सरकार जानबूझकर और किसी उद्देश्य के तहत हस्तक्षेप करती है, तो उससे स्वतंत्र पत्रकारिता की इस प्रणाली का ही दमन नहीं होगा बल्कि खोजबीन या जांच पड़ताल की पूरी प्रक्रिया बेमानी हो जाएगी। इसलिए यह अपरिहार्य हो जाता है कि समाचार चैनल दिशानिर्देश तैयार करें, प्रक्रियागत सावधानियां या सतर्कता तय करें और एक ऐसी संस्था या संगठन गठित करें, जो निगरानी करने वाले निकाय के तौर पर काम करे और शिकायतों का निवारण करने वाला मंच भी हो।

खंड 1 मौलिक या बुनियादी सिद्धांत

1. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पेशेवर पत्रकारों को यह स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि वे जनता के विश्वास के पहरेदार यानी पहरेदार हैं और इसीलिए उन्हें सत्य की खोज करने और उसे संपूर्ण रूप में पूरी आजादी के साथ और निष्पक्षता के साथ लोगों के सामने पेश करना चाहिए। पेशेवर पत्रकारों को अपने द्वारा किए गए कामों के संबंध में पूरी तरह जवाबदेह भी होना चाहिए।

2. इस संहिता का उद्देश्य ऐसे व्यापक प्रचलनों को दस्तावेज की शकल देनी है, जिन्हें न्यूज ब्राडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) के सभी सदस्य प्रचलन और प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को जन सेवा और एकरूपता के उच्चतम संभव मानकों को अपनाने और उन पर चलने में मदद मिलेगी।

3. समाचार चैनल यह मानते हैं कि पत्रकारिता के उच्च मानकों के साथ जुड़े रहने के मामलों में उनके ऊपर खास किस्म की जिम्मेदारी है क्योंकि जनमत को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की ताकत भी उनके ही पास है। मोटे तौर पर समाचार चैनलों को जिन सिद्धांतों पर चलना चाहिए, उनका उल्लेख यहां पर किया गया है।

4. खास तौर पर प्रसारणकर्ताओं को यह पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी विवादित सार्वजनिक मामले में दोनों में से किसी पक्ष को नुकसान या फायदा पहुंचाने की दृष्टि से सामाचार का चुनाव नहीं करना चाहिए। समाचार सामग्री का चयन अथवा उनकी रचना किसी भी विशेष आस्था, विचार अथवा किसी वर्ग विशेष की इच्छा पूरी करने या उसे बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए।

5. लोकतंत्र में खबरों के प्रसारण का बुनियादी उद्देश्य है, लोगों को शिक्षित करना और उन्हें यह बताना कि देश में क्या हो रहा है ताकि देश की जनता महत्वपूर्ण घटनाओं को भली भांति समझ सके और उनके बारे में अपने मुताबिक निष्कर्ष निकाल सके।

6. सभी प्रसारणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समाचार को संपूर्ण और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए क्योंकि प्रत्येक समाचार चैनल की बुनियादी जिम्मेदारी एक जैसी ही होती है। लोकतंत्र में सभी प्रकार के दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने की अहमियत को महसूस करते हुए प्रसारणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए कि विवादित विषयों को बिना किसी पक्षपात के पेश किया जाएगा और उसमें प्रत्येक दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसके अलावा समाचार सामग्री के चयन के समय भी जनहित को सबसे ऊपर रखा जाए और किसी भी लोकतंत्र में उन समाचार सामग्रियों के महत्व के आधार पर उन्हें चुना जाए।

खंड 2 आत्म नियंत्रण का सिद्धांत

खुद पर नियंत्रण रखने के लिए न्यूज ब्राडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) ने साझा रूप से स्वीकार किए गए सामग्री संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसका उद्देश्य संपादकीय सिद्धांतों को परिभाषित करना है, जो भारत के संविधान में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत और तत्त्वों से पूरी तरह मेल खाते हैं। इसके अलावा इन दिशानिर्देशों में नियामक ढांचा तैयार किया गया है, जो टेलीविजन दर्शकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

आत्म नियंत्रण के लिए बनाए गए इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य उन बुनियादी मूल्यों और लक्ष्यों को समझते हुए उनकी उद्घोषणा करना और उनका भली भांति पालन करना है, जिन्हें समाचार चैनल अंगीकार करते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये सिद्धांत कार्य में भी दिखाई दें महज शब्दों में ही नहीं।

आत्म नियंत्रण के सभी सिद्धांतों को एक साथ रखने का उद्देश्य प्रसारित होने वाली किसी भी ऐसी सामग्री के माध्यम से टेलीविजन समाचार की शुचिता के साथ समझौता होने से रोकना है, जो कि पक्षपात पूर्ण, विपरीतगामी, जानबूझकर गलत, नुकसान पहुंचाने वाली और भ्रामक है तथा हितों के टकराव को छुपाने के लिये जानबूझ कर प्रसारित की जा रही है।

आत्म नियंत्रण के इन सिद्धांतों का उद्देश्य टेलीविजन पत्रकारिता के पेशे को मजबूत करना और उसके लिए मूल्यों की ऐसी संहिता तैयार करना है, जो लंबे समय तक कायम रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संतुलित और समग्र पत्रकारिता फलती फूलती रहे।

नीचे ऐसे कुछ क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जहां प्रसारणकर्ताओं को आत्म नियंत्रण की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है।

1. रिपोर्टिंग पक्षपात रहित हो और उसमें वस्तुनिष्ठता हो:

समाचार चैनलों के काम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू सच्चाई एवं सटीकता है अर्थात् वे जो कुछ दिखाएं वह पूरी तरह सच हो। 24 घंटे के समाचार चैनल देखने वाले दर्शक रफतार यानी फटाफट खबरें पेश होने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन रफतार से भी ज्यादा सटीकता और संतुलन बनाए रखना और उन्हें फटाफट खबरों से ज्यादा तरजीह देना टेलीविजन समाचार चैनलों की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद यदि उनसे गलती होती है, तो चैनलों को उन गलतियों के बारे में पूरी तरह पारदर्शिता बरतनी चाहिए। गलतियों को तुरंत और स्पष्ट रूप से सही करना चाहिए, चाहे वह गलती चित्रों के इस्तेमाल में हुई है, किसी समाचार रिपोर्ट में हुई है, कैप्शन में हुई है या ग्राफिक में हुई है या फिर स्क्रिप्ट में ही गलती हो गई है। चैनलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न हो जाए, जो स्पष्ट तौर पर मानहानि करने वाली अथवा किसी तरह के मुकदमे का कारण बनने वाली हो। ऐसे सभी प्रकार के मामलों में सत्य ही हिफाजत का माध्यम बनेगा, जहां व्यापक जन हित जुड़ा हुआ होता है और उन मामलों में भी सभी संबंधित पक्षों को अपने विचार और दृष्टिकोण रखने का पूरा और समान मौका दिया जाएगा। यह सिद्धांत उन मामलों में भी लागू होगा, जहां टेलीविजन चैनल उन लोगों के बारे में कोई समाचार प्रसारित करते हैं, जो किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हैं, हालांकि महज सार्वजनिक पद पर होने का तर्क देकर ही कोई व्यक्ति समाचार चैनलों की जांच पड़ताल, खोजबीन या आलोचना से बरी नहीं हो सकता।

2 निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए :

किसी प्रकार के विवाद अथवा झगड़े आदि में सभी प्रभावित पक्षों, खिलाड़ियों और अभिनेताओं को उनके विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का समान अवसर देकर टेलीविजन समाचार चैनलों को पूरी तरह निष्पक्षता बरतनी चाहिए। हालांकि निष्पक्षता का मतलब हमेशा सभी पक्षों को बराबर का अवसर देना नहीं होता (समाचार चैनलों को मुख्य पक्षों के मुख्य विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने का प्रयास तो करना ही चाहिए।) समाचार चैनलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार के आरोप को सत्य के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए और इसी प्रकार आरोपों को कभी अपराध की शकल देकर पर्दे पर नहीं उतारना चाहिए।

3. अपराध के बारे में रिपोर्टिंग करते समय और अपराध और हिंसा सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों के बारे में बताते समय उनका महिमामंडन न किया जाए :

टेलीविजन समाचार चैनलों की पहुंच बहुत ज्यादा होती है और मीडिया के अन्य रूपों के मुकाबले उसका असर भी बहुत तेज और तुरंत होता है और ये दोनों पहलू इस बात की जरूरत और बढ़ा देते हैं कि चैनलों को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित संयम बरतना चाहिए कि किसी भी प्रकार के समाचार अथवा दृश्य प्रसारण से हिंसा को बढ़ावा न मिले, उसका महिमामंडन न हो, वह भड़क न जाए या उसे सकारात्मक नजरिये से न देखा जाए। ऐसा ही हिंसा करने वालों के साथ भी होना चाहिए चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों और उनका संदर्भ कुछ भी हो। ऐसे दृश्यों का प्रसारण नहीं होना सुनिश्चित करना चाहिए और उसके लिए विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए, जो किसी के बारे में पूर्वग्रह बनाते हों या भड़काऊ हों। इसी प्रकार हिंसा (चाहे वह सामूहिक हो या व्यक्तिगत) की रिपोर्टिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा का किसी भी प्रकार से महिमामंडन न हो जाए क्योंकि इससे दर्शकों पर भ्रामक या संवेदनहीन कर देने वाला प्रभाव पड़ सकता है। समाचार चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि इन घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण करते समय किसी भी तरह जन हित और संवेदनशीलता की सीमाओं का उल्लंघन न होने पाए। इसमें पीड़ा, भय इत्यादि के दृश्य दिखाते समय पर्याप्त सावधानी बरतने का प्रावधान भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा आत्महत्या अथवा खुद को नुकसान पहुंचाने की किसी भी घटना या तरीके के ब्यौरे देने या दृश्य दिखाने से बचना चाहिए और इसमें भी शालीनता की सीमाएं किसी भी हालत में नहीं लांघी जानी चाहिए।

4. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और भयभीत किए जाने का चित्रण :

बिंदु 3 की व्याख्या के तौर पर, समाचार चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी महिला अथवा बच्चा, जो यौन हिंसा, प्रताड़ना, सदमे का शिकार हुआ हो अथवा इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का गवाह बना हो, उसका परिचय छिपाने का समुचित प्रयास किए बिना टेलीविजन पर न दिखाया जाए। यौन हिंसा के सभी मामलों अथवा ऐसे मामले, जो किसी महिला के व्यक्तिगत चरित्र अथवा निजता से संबंधित होते हैं, उनमें महिलाओं के नाम, उनके चित्र और अन्य ब्यौरे और जानकारी को प्रसारित अथवा प्रचारित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार बाल शोषण और बाल अपराधों के मामले में पीड़ितों के परिचय का भी खुलासा नहीं किया जाएगा और उनका परिचय छिपाने के लिए उनके चित्रों को छिपाते हुए प्रसारित किया जाएगा अथवा उनकी मॉर्फिंग कर दी जाएगी।

5. सेक्स एवं नग्नता :

समाचार चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि वे पुरुष अथवा महिला की नग्नता को मॉर्फिंग के बगैर किसी भी रूप में प्रदर्शित अथवा प्रसारित नहीं करेंगे। चैनल यौन क्रियाकलापों अथवा यौन विकार अथवा बलात्कार या छेड़छाड़ जैसे यौन हिंसा के कृत्यों के चित्र आदि भी प्रदर्शित नहीं करेंगे और न ही नग्नता अथवा पोर्नोग्राफी अथवा यौन संकेत करने वाली भाषा के इस्तेमाल को प्रदर्शित एवं प्रसारित करेंगे। (हालांकि चैनलों से यह अपेक्षा कभी नहीं की जाती है कि वे नैतिकतावादी अथवा विनयपूर्ण आचरण वाले बनें और इस आत्म नियंत्रण का उद्देश्य नैतिकता की ठेकेदारी करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेहद आपत्तिजनक और खेदजनक सामग्री और दृश्य किसी भी प्रकार से प्रसारित नहीं होने पाएं।)

6. निजता :

एक नियम के तौर पर चैनल किसी भी सूरत में किसी व्यक्ति के निजी जीवन अथवा व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं दे सकते, जब तक कि इस प्रकार के प्रसारण में व्यापक और स्पष्ट सार्वजनिक हित होने की बात साफ तौर पर पता नहीं लग जाती है। इस संबंध में जिस सिद्धांत का पालन समाचार चैनलों को करना होता है, उसके मुताबिक किसी निजी स्थान, दस्तावेज, लिखित सामग्री, टेलीफोन पर हुई बातचीत और किसी अन्य प्रकार की सामग्री अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब वह जन हित में हो। हालांकि इस बात को अच्छी तरह से समझा जाता है कि पहले से अनुमति लेने के सिद्धांत का पालन करने पर सत्यतापरक समाचार दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए घर तक जाने वाले व्यक्तियों अथवा अधिकारियों का इस्तेमाल समाचार संकलन के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी व्यापक जन हित का पहलू शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अवयस्कों यानी नाबालिगों के मामले में ऐसे किसी भी प्रसारण से पहले, जिसमें उनकी निजता का हनन होता हो, चैनलों को यथासंभव नाबालिगों के माता-पिता अथवा स्थानीय अभिभावक की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन निजता की रक्षता के पहलू को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने का अधिकार नहीं समझ लेना चाहिए और यह बात सार्वजनिक नजर में रहने वाले व्यक्तियों और सार्वजनिक व्यक्तित्वों समेत

सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। ऊपर दिए गए प्रावधानों का पालन करते हुए यह बात उन सभी व्यक्तियों के नाबालिग बच्चों और संबंधियों पर भी लागू होती है।

7. राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा :

ऐसी किसी भी शब्दावली और मानचित्रों, जिनमें भारत और भारत के सामरिक हितों का चित्रण किया गया हो, का इस्तेमाल करते समय सभी समाचार चैनल विधि और भारत सरकार के कानूनों के मुताबिक मंजूरी प्राप्त विशिष्ट शब्दावली और मानचित्रों का ही इस्तेमाल करेंगे। (भारत के क्षेत्र का मानचित्र दिखाते समय उसमें उन आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, जो सरकारी दस्तावेजों में दिए गए हैं।) समाचार चैनल इस प्रकार के किसी प्रसारण की भी अनुमति नहीं देंगे जिससे अलगाववादी संगठन और उसके हितों को बढ़ावा मिलता हो अथवा ऐसी सूचना का खुलासा हो जाता हो, जिससे जन जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाए। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन की घटनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में मौजूद खामियों का प्रसारण करना जन हित में है और इनके बारे में समाचार दिखाने को राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा आ जाना नहीं समझा जाना चाहिए।

8. अंधविश्वास और गोपनीय संप्रदायों को बढ़ावा देने या उनकी वकालत करने से बचा जाए :

समाचार चैनल ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण नहीं करेंगे, जिससे अंधविश्वास अथवा किसी गोपनीय संप्रदाय का किसी भी रूप में महिमामंडन किया जाता हो। इस प्रकार के किसी भी वर्ग के बारे में समाचार का प्रसारण करते समय समाचार चैनलों को सार्वजनिक सूचना (डिसक्लेमर) भी जारी करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दर्शक इस प्रकार के विश्वासों अथवा गतिविधियों में विश्वास नहीं करेंगे और उनकी नकल भी नहीं करेंगे। इसलिए समाचार चैनल किसी भी "अलौकिक गतिविधि", भूत और आत्मा, व्यक्तिगत अथवा सामाजिक प्रथा अथवा समाज से हटकर व्यवहार के बारे में मिथ्या धारणाओं को "तथ्य" के रूप में प्रसारित नहीं करेंगे और न ही उनका नाटकीय रूपांतरण करेंगे। जहां भी ऐसे मामलों का जिक्र किया जाएगा, समाचार चैनल एयर राइडर/डिसक्लेमर/चेतावनी दिखाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की आस्थाओं और घटनाओं को दर्शक "तथ्य" न समझ लें क्योंकि ये किसी व्यक्ति की तार्किक संवेदनाओं को चोट पहुंचा सकती हैं।

9. स्टिंग ऑपरेशन :

निर्देशक सिद्धांत के तौर पर स्टिंग और छिपे हुए अभियान अथवा ऑपरेशन किसी समाचार कथा के बारे में दर्शकों को समग्र जानकारी देने के लिए किसी समाचार चैनल की ओर से अंतिम तरीका होने चाहिए। समाचार चैनल स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए किसी भी सूरत में सेक्स और गंदे तरीकों का सहारा नहीं लेंगे और किसी भी स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग के लिए उचित तरीके के रूप में नशीले पदार्थों और निश्चेतक पदार्थों अथवा हिंसा, भयभीत करने और भेदभाव के किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। स्टिंग ऑपरेशन पहले बताए गए आत्म नियंत्रण के सिद्धांतों से भी बंधे रहेंगे और समाचार चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक ही स्टिंग ऑपरेशन स्पष्ट और व्यापक जनहित में किए जाएंगे। समाचार चैनल एक बुनियादी नियम के तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टिंग ऑपरेशनों का इस्तेमाल किसी प्रकार के अनुचित कार्य अथवा आपराधिक कृत्य के स्पष्ट प्रमाण पाने के लिए माध्यम के तौर पर ही किया जाएगा और मौलिक फुटेज में दिए गए दृश्यों में इस प्रकार से जानबूझकर कोई भी फेरबदल अथवा संपादन आदि नहीं किया जाएगा, जिससे इनमें बदलाव आ जाए अथवा सत्य गलत तरीके से सामने आए और सत्य का केवल एक हिस्सा ही प्रदर्शित हो सके।

10. संशोधन :

सभी समाचार चैनल सटीकता और पक्षपात हीनता के सिद्धांतों के मुताबिक ही काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार के प्रसारण में हुई महत्वपूर्ण गलती के बारे में जानकारी दी जाए और उसे तुरंत ही प्रसारण के जरिये सही किया जाए। संशोधन इस प्रकार से प्रसारित किए जाने चाहिए कि वे दर्शकों का पर्याप्त ध्यान आकर्षित कर सकें और उन्हें छिपे हुए रूप में नहीं प्रसारित करना चाहिए। अन्य सिद्धांतों की ही तरह इस सिद्धांत को भी इसके संपूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए महज शब्दों में नहीं ताकि भारत में समाचार प्रसारण उद्योग की प्रतिष्ठा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होने पाए।

दर्शकों की प्रतिक्रिया (फीडबैक) :

सभी समाचार चैनल अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ताओं अथवा दर्शकों की प्रतिक्रिया यानी फीडबैक प्राप्त करने का प्रावधान भी करेंगे। इसके अलावा दर्शकों की विशेष प्रकार की किसी भी शिकायत का उत्तर भी दिया जाएगा। यदि किसी समाचार चैनल को कोई विशेष शिकायत मिलती है और वह सत्य भी पाई जाती है, तो वह अपने प्रसारण के दौरान अर्थात् पर्दे पर ही उसे स्वीकार करेगा और दर्शक को संपूर्ण रूप से और निष्पक्ष तरीके से उसका जवाब भी देगा। यदि कोई दर्शक/निकाय किसी समाचार चैनल पर प्रसारित हुए किसी विशेष समाचार से परेशान होता है, तो चैनल दर्शक को संपूर्ण रूप से और बिना किसी पक्षपात के उस शिकायत का जवाब देगा।

1.4.2008